



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 807) पटना, वृहस्पतिवार, 5 अक्तूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 अक्तूबर 2023

एस०ओ० 262 दिनांक 5 अक्तूबर, 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम12, 2017) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16) 3546)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 अक्तूबर 2023

एस०ओ० 262 दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16) 3546)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 5th October 2023

S.O. 262 Date 5 October 2023—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-16)3546)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 807-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>